

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं० 1, मुरादाबाद ।

आज पत्रावली पेश हुई। उपर्युक्त जुर्म स्वीकृति के आधार पर प्रार्थी का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उसे साधारण कारावास भुगतना होगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं० 1, मुरादाबाद ।